(108)

श्री

निगरानी प्रकरण क्रमांक : /२०१८

प्रस्तुति दिनांक : 14/01/२०१८

माननीय राजस्व मण्डल ग्वालियर केम्प इन्दौर के समक्ष

निगरानी-0148/2019/बड़वानी/भू.रा.

आयुक्त कार्यालय 22-1-19

. प्रमोद पिता देवदत्त यादव
निवासी-ग्राम कसरावद, तहसील बडवानी,
जिला बडवानी म.प्र.

---- प्रार्थीगण

वि रू द्व

कार्यालय आयुक्त इन्दौर संभाग इन्दौर
श्री ....
प्रार्थी/अभिभाषक द्वारा दिनांक 14-01-19
को प्रस्तुत।

अधीक्षक
आयुक्त कार्यालय

मध्यप्रदेश शासन
द्वारा राजस्व विभाग, बडवानी
जिला बडवानी

19
14-01-2019

प्रतिप्रार्थी

निगरानी : अन्तर्गत धारा ५० मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता

माननीय महोदय,

प्रार्थीगण यह निगरानी माननीय अपर आयुक्त महोदय इन्दौर संभाग इन्दौर द्वारा प्रकरण क्रमांक 346/अपील/२०१६-१७ (कैलाश व अन्य विरूद्ध मध्यप्रदेश शासन द्वारा राजस्व विभाग बडवानी) में पारित आदेश दिनांक २८ मार्च २०१८ से असंतुष्ट होकर प्रस्तुत करते है।

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य :--

राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पत्रिका

प्रकरण क्रमांक **निगरानी/0148/2019/बडवानी/भूरा**

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
20-2-2019	**आवेदकपक्ष अधिवक्ता के0सी0यादव उपस्थित । आवेदकपक्ष द्वारा यह निगरानी अपर आयुक्त न्यायालय के द्वितीय अपील में पारित आदेश के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है । म0प्र0भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25-09-2018 से लागू हुये संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50(2)(ख) के अन्तर्गत अपर आयुक्त के द्वारा द्वितीय अपील में पारित आदेश के विरूद्ध निगरानी प्रकरण के सुनवाई का क्षेत्राधिकार इस न्यायालय को नहीं होने से यह निगरानी अग्राह्य की जाती है ।** (मनोज गोयल) **अध्यक्ष**	